राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

सिविल लाईन, टोंक (राज.)

क्र. सं. : एफ 5/कम्प्यूटर क्रय/2021–22/205 दिनांक : 14 मार्च, 2022

निविदा सूचना संख्या–02/2021–22

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर सेट/स्केनर क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	सामग्री का नाम व (संख्या)	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क (अवापसिय)
1	बीमा भवन टोंक में कम्प्यूटर (PC i5) सेट (डेस्कटॉप) 4 नग/प्रिन्टर 01 नग/स्कैनर 01 नग स्पेशिफिकेशन के अनुसार क्रय करने बाबत्।	कम्प्यूटर–04 प्रिन्टर–01 स्केनर–01	200000/– 20000/– 37500/–	4000/– 400/– 750/–	500/– रु.
		योग =	257500/–	5150/–	

1 सम्बन्धित फर्म /कम्पनी / संस्था / एजेन्सीज को निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 23/03/2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, टोंक के कार्यालय में दिंनाक : 22/03/2022 दोपहर 12:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

2 निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस बीमा भवन के यहॉ राशि 500/– रु0 जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (htpp://sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग टोंक के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3 प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 23/03/2022 को अपरान्ह 02.30 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4 निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि अजमेर संभाग/उप निदेशक, टोंक को होगा।

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् अति. निदेशक महोदय (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर
2. श्रीमान् अति. निदेशक महोदया, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर
3. संयुक्त निदे. (सा.प्रशा.), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

<u>निविदा प्रपत्र</u>

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक के कार्यालय में कम्प्यूटरर्स/प्रिन्टर/स्केनर क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/–(रूपये पांच सौ मात्र)

बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 2% अनुमानित लागत का बैंकर चैक/ड्राफ्ट अथवा नगद जमा करवाकर रसीद निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

नोटः–

(1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।

1 तकनीकी निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'ई'

2 वित्तीय निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'

3 निविदा की शर्तें – परिशिष्ट 'जी'

4 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत आईटमवार स्पेशिफिकेशन का विवरण परिशिष्ट 'एच'

5 चैक लिस्ट–परिशिष्ट 'आई'

6 अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफों में अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।

1 फर्म द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

2 बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 2 प्रतिशत अनुमानित लागत का बैंकर चैक/ड्राफ्ट अथवा नगद की रसीद निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

3 बिड निविदा शुल्क 500/– का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।

4 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।

5 जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)

6 किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का शपथ पत्र नोटेरी से करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

(3) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।

(4) ''**तकनीकी निविदा**'' और ''**वित्तीय निविदा**'' के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बडे लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बडे लिफाफे पर ''निविदा कम्प्यूटर/प्रिन्टर क्रय/स्केनर'' अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निविदा जमा के निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती है, तो कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, टोंक उत्तरदायी नहीं होगा।

(5) दिनांक 23/03/2022 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 23/03/2022 को अपरान्ह 2.30 बजे निविदाओं के लिफाफो को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्कैनर क्रय की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक के कक्ष नम्बर 10 में 500/- रूपये नकद भुगतान कर दिनांक 22/03/2022 दोपहर 12:30 बजे तक क्रय किये जा सकते है। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 23.03.2022 को दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी।

(6) तकनीकी परीक्षण के दौरान कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्कैनर का डेमो प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हे निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, टोंक द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्चे का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्चे पर करेगा।

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक में कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय की निविदा दी हैं।

यदि निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम ....

पूर्ण पता : ....

....

टेलीफोन नम्बर

(निवास) ....

(कार्यालय) ....

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

परिशिष्ट–ई

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक (राज.)

निविदा प्रपत्र (तकनीकी)

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक के लिये कम्प्यूटरर्स/प्रिन्टर/स्केनर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र

1 निविदादाता का नाम व पूर्ण पता : ....
एवं मोबाईल नम्बर ....
....

2 निविदा सूचना क्रमांक : ....

3. निविदा शुल्क रूपए 500/– : ....
जमा कराने का विवरण : ....

4. निविदा प्रस्तुत करने की : दिनांक 23.03.2022 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक
अंतिम तिथि एवं समय

5. बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि का विवरण : ....

6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का
रस्ट्रिेशन नम्बर/ : ....

7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक : ....
(नियमानुसार)

8. फर्म का पैन कार्ड नम्बर : ....

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक (राज.)

कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय की दरें देने का (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में ''वित्तीय निविदा'' अंकित करें कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

A. Desktop Computer System i5 :-

Item	Minimum Technical Specification	मात्रा	निविदादाता द्वारा दी गई राशि रु. प्रति नग कम्प्यूटर सेट (समस्त कर सहित) शब्दों व अंकों में
Processor	Intel i5/AMD Ryzen-5 (10th Generatin/Equivalent AMD) 6 core with minimum 3.0GHZ or higher (Base Frequency), 12 MB Cache or higher	04	
Chipest	Compatible intel / AMD chipest		
Mother board	OEM Motherboard		
Operating System	Pre installed Genuine OEM Microsoft Windows 10 Professional 64 bit preloaded with OEM Recovery Partition/ Recovery DVD		
Graphics	Integrated/Discrete Graphics card		
Merory (RAM)	8 GB DDR4-2666/2933 MHz or higher with minimum 2 DIMM Slots, Expandable up to 32.		
Storage	1 TB 7200 RPM SATA Drive and or 512 GB SSD		
Optical Drive	DVD R/W		
Ports	Minimum 6 USB Ports with at least 2 USB 3.0 Or higher ports, VGA, HDMI, audio jack for headphone & microphone		
Display	Minimum 21.5'' inch or higher HD plus (Resolution 1920*1080) or higher Display, TCO Certified		
Office	Open office undated version (freeware)		
Antivirus	Priloaded (Lastest Version) Internet Security of Trend Micro/Quick Heal/Symantec/Sophos/Kaspersky with 3 year Subscription		
Certification	ROHS Compliance, BEE/Energy Star certified, EPEAT Certified		
Keyboard & Mouse	OEM USB Keyboard & OEM USB two button optical mouse with mouse Pad		
Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet		
Accessories	All necessary cables (Power and data cables), 3 Mtrs CAT 6 patch cord to be included		
Warranty	3 year comprehensive on site OEM warranty from date of installation		

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

B. Printer Inkjet Monochrome :-

Item	Minimum Technical Specification	मात्रा	निविदादाता द्वारा दी गई राशि रु. प्रति नग कम्प्यूटर सेट (समस्त कर सहित) शब्दों व अंकों में
Type of machine	Ink Tank, Monochrome	01	
Print Speed	20PPM		
Fnctions	Print		
Duty Cycle (monthly)	10000 pages		
Duplex Printing	Auto		
Tray	Input Tray : Min 100 Sheets Output Tray : Min 100 sheets		
Certificatin	BIS, ISO for OEM		
Processor	500 MHz or higher		
Memory	64 MB or higher		
Operating System	Windows and Linux		
Warranty	3 years comprehensive on-site OEM warranty from date of installation		

C. Scanner :-

Item	Minimum Technical Specification	मात्रा	राशि रु. प्रति नग प्रिंटर (समस्त कर सहित) शब्दों व अंकों में
ADF Capacity	50 Sheets	01	
Scanning	Simplex/Duplex		
Scanning Resolution	Up to 2400*2400 dpi		
Scan Speed	20 PPM or higher		
Interface	USB 2.0		
Sensor	Contact Image		
Scan Format	PDF, PDF/A		
Light Source	LED		
Operating System Support	Windo/Mac		
Bundled Software Solutions	Industry standard Interfaces for connections software e.g. windo ISIS, TWAIN and TWAIN drivers		
Accessories	USB Cable, AC adaptor, Power Cable, Setup guide document, Installation software (driver CD)		
Warranty	3 year comprehensive on site OEM warranty from date of installation		

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

1. उक्त दरों मे जीएसटी नियमानुसार सम्मिलित की जाये।
2. बिड में दी गई कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।
3. कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर का मेक अंकित करना होगा।
4. आदेशित पूर्णा सामग्री प्राप्त होने के बाद निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित होने पर ही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत् भुगतान किया जावेगा। भुगतान करते समय 2 प्रतिशत जी.एस.टी. काटी जावेगी। उपापन संस्था न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।
5. अधिकृत डीलर/निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त के संबंध में अपनी योग्यता प्रमाण–पत्र/अनुभव प्रमाण–पत्र आपूर्ति तथा प्रारुप एस. आर. 11 करना आवश्यक है। फर्म द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि का डी.डी./चालान आदेश जारी होने के 2 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।
6. बिड के साथ जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं दिनांक 31.12.2021 तक जी. एस. टी. चुकता प्रमाण–पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम ....

पूरा पता ....

....

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ASSISTANT DIRECTOR STATE INSURANCE &PROVIDENT FUND DEPTT. TONK (RAJ.)

परिशिष्ट 'जी'

कम्प्यूटर (i5) 4 नग, प्रिन्टर–01 नग एवं स्केनर–01 नग क्रय हेतु निविदा की शर्ते

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) <u>पात्रता **(Eligibility Criteria)**</u> जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1–राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रस्ट्रिेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2–बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/नकद निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।

3–निविदायें दो अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा ''प्रि–क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड'' का होगा तथा दूसरा ''वित्तीय बिड'' के लिये होगा। सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक कार्यालय में कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय के लिये पृथक–पृथक बन्दलिफाफों में कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय की तकनीकी निविदा एवं वित्तिय निविदा प्रस्तुत करना होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

4–प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:–

(क) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि अनुमानित राशि 2 प्रतिशत का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/नकद निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।

(ग) बिड निविदा शुल्क 500/– का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।

(घ) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।

(ड.) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

(च) किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।

5– दूसरे लिफाफे में केवल वित्त बिड सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक **कार्यालय हेतु कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय की वित्तीय बिड़ होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।**

6– **दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा** सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

(ब) सामान्य शर्ते :–

1 स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

2 फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज.लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी । फर्म द्वारा उक्त कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर समय पर आपूर्ती नहीं करने पर 500/– रू. प्रतिदिन के हिसाब से फर्म द्वारा दिये बिल सें या जमा प्रतिभूति राशि में से क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।

3 समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।

4 निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।

5 विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।

6 निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होगे।

7 सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन **समिति** जॉच करेगी। जॉच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।

8 सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के दो दिवस में संविदा के **2.5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति** जमा करानी होगी तथा **नियमानुसार** 500 रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी।

9 अनुबंधित फर्म कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को **सबलेट नहीं करेगा** अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।

10 कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर के स्टांलेशन सिस्टम सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक तथा प्रभारी अधिकारी की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

11 उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 23/03/2022 सायं 2.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

12 सफल निविदादाता द्वारा कम्प्यूटर/प्रिन्टर की आपूर्ती/अनुबंध करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।

13 निविदादाता द्वारा कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्कैनर की आपूर्ती वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 03 दिवस के भीतर सप्लाई देनी होगी।

14 कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर क्रय अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

15 फर्म द्वारा कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर की दी गई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर ना जमा कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवदेक की होगी।

16 यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये इंजीनियरों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

17 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/ संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई0एस0आई0 करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18 यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर इंजीनियर न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस **कार्यालय प्रशासन** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19 कम्प्यूटर/प्रिन्टर स्टांलमेंट के समय लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगा।

20 किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर **सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक** द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा। निविदा से संबंधित प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, अजमेर संभाग, अजमेर एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर होगा।

21 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र टोंक होगा।

22 कम्प्यूटर/प्रिन्टर आपूर्ती की वारंटी अवधि में प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर फर्म से कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग सिस्टम अनुभाग द्वारा की जायेगी।

23 विभाग से कम्प्यूटर/प्रिन्टर वारंटी अवधि में ठीक करने हेतु बाहर ले जाने पर स्टोर से गेटपास लेना होगा।

24 अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में **संविदा** समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार **सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक** का होगा।

25 **सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक** को बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये संविदा/ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26 कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर वारंटी अवधि में तत्काल ठीक करना होगा।

27 अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर आदेश में उल्लेखित तिथि तक आपूर्ती करना होगा। समयावधि समाप्त होने के पश्चात फर्म द्वारा आपूर्ती करने पर भुगतान में विलम्ब होने एवं भुगतान नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

28 परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी। जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं : (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें ही लागू होगी) (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 %
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए	7.5%
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

29 संतोषप्रद सामान आपूर्ति पश्चात् फर्म द्वारा तीन प्रतियों में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जावे।

30 सामान की आपूर्ति/स्पेशिफिकेशन की जांच प्रमाणित उपापन समिति/तकनीकी सदस्यों द्वारा की जावेगी।

31 प्रतष्ठित एवं प्रचलित कम्पनी के उत्पाद के निविदाएं भी मान्य होगी।

32 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है। स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा स्वीकार करने या एक फर्म से अधिक को स्टोर किमतों को वितरित करने के अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा।

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम...
पूरा पता...
मोबाईल/टेलिफोन नं..

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(I) A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications :-

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

सहायक निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

टोंक (राज0)

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

- The designation and address of the First Appellate Authority is Add, Si&pf, Ajmer Join, Ajmer
- The designation and address of the Second Appellate Authority is Add, Si&pf (Admistration), Head Office, Jaipur (Raj.)

---

1. **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases**
   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   (a) determination of need of procurement;
   (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
   (d) cancellation of a procurement process;
   (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

(a) **An appeal und**er para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

6. **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

FORM No. 1

[*See rule 83*]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   - (i) Name of the appellant:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer : ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

परिशिष्ट–एच

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक (राज.)

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत आईटमों का स्पेशिफिकेशन :–

1. कम्प्यूटर (i5) :– मेक एण्ड ब्राण्ड ....

(उत्पादनकर्ता का स्पेशिफिकेशन संलग्न है।)

क्र. सं.	आईटम का नाम	फर्म द्वारा दिए जा रहे स्पेसिफिकेशन	निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार है या नहीं (Yes/Upper level)

2. प्रिन्टर इंकजेट मोनोक्रोम :– मेक एण्ड ब्राण्ड ....

(उत्पादनकर्ता का स्पेशिफिकेशन संलग्न है।)

क्र. सं.	आईटम का नाम	फर्म द्वारा दिए जा रहे स्पेसिफिकेशन	निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार है या नहीं (Yes/Upper level)

3. स्केनर :– मेक एण्ड ब्राण्ड ....

(उत्पादनकर्ता का स्पेशिफिकेशन संलग्न है।)

क्र. सं.	आईटम का नाम	फर्म द्वारा दिए जा रहे स्पेसिफिकेशन	निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार है या नहीं (Yes/Upper level)

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पूरा :– ....

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक (राज.)

तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज :–

क्र. सं.	विवरण	हाँ / नहीं	पृष्ठ संख्या
1	सम्पूर्ण बिड दस्तावेज हस्ताक्षरित		
2	निविदा दस्तावेज शुल्क 500 / – की रसीद / डी.डी.		
3	बिड प्रतिभूति राशि 5150 / – डी.डी. / बैंकर्स व दिनांक		
4	कम्पनी / फर्म / एकल भागीदारी का प्रमाण–पत्र		
5	उत्पादनकर्ता / अधिकृत डीलर का प्रमाण–पत्र		
6	ओ.ई.एम. के साथ निर्धारित स्पेसिफिकेशन		
7	आईटम किस ब्राण्ड एवं मेक का प्रस्तुत किया गया है उसके विवरण का दस्तावेज		
8	गत तीन वर्ष के टर्नओवर का सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र		
9	सी. ए. द्वारा प्रमाणित पॉजिटिव नेटवर्थ का सर्टिफिकेट		
10	राजकीय विभाग / उपक्रम में गत तीन वर्षों में आपूर्ति का अनुभव किसी भी एक वर्ष का कार्यादेश की प्रति		
11	पेन कार्ड की छायाप्रति		
12	जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति		
13	अन्य संलग्न दस्तावेज		

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पूरा :– ....

सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
टोंक (राज0)